THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b). According to the information received from the Government of West Bengal, the University has sent a copy of its replies to the audit objections but has not yet sent the finalized proceedings of the meetings of "the Executive Council" or of "the University" in which these replies were considered. The University authorities have been requested by the State Government to send these proceedings. The matter will be considered by the State Government on receipt of the University's reply and the relevant documents.

DEATH OF HARIJAN BOY

865. SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI ONKAR LAL BERWA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6608 on the 30th August, 1968 regarding death of Harijan Boy in Banaskantha (Gujarat) and state :

(a) whether the case has since been investigated by Government; and

(b) if so, the outcome thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). Investigation of the case has been completed and charge-sheet was submitted to the concerned court on 4th July, 1968. The trial is in progress.

नजफगढ़ रोड, दिल्ली के औद्योगिक श्रमिकों पर लाठी प्रहार

866. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जी० मो० विश्वास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1968 को दिल्ली में नजफगढ़ रोड पर हजारों औद्योगिक कर्मचारियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(ग) यदि हां तो लाठी प्रहार करने के क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही गई है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 6 सितम्बर, 1968 को मोतीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर 500/600 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था । प्रदर्शनकारियों ने हिंसात्मक कार्य किये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर पत्थर फेंके । उप-विभागीय न्यायाधीश ने जो कि वहां उपस्थित थे जमाव को अवैध घोषित किया और उनको तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया । जब उनकी चेतावनी का कोई प्रभाव न हुआ तो उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया । पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के पश्चात् प्रदर्शनकारी कुछ पीछे हटे किन्तु वे पुलिस पर लगातार पत्थर फेंकते रहे । तब उप-विभागीय न्यायाधीश ने अश्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया । अश्रु गैस का प्रयोग करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने में सफल हुई । 29 प्रदर्शनकारी और ड्यूटी पर तैनात 40 पुलिस कर्मचारी घायल हुए । 48 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । मामला प्रथम सूचना प्रतिवेदन 465 दिनांक 6-9-68 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/353/332/186/341 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया । अब वह सत्र-न्यायालय को निर्णय के लिये सुपुर्द कर दिया गया है ।